

रैफर किया जाता है। पक्षकारान
दिनांक 29.06.18 को लोक अदालत
के समक्ष उपस्थित रहें।

गोपनीय

29/06/18

पत्रावली आज लोक अदालत केमप वजीरपुर
में पेश हुई। वकील उमरपक्ष प्राप्त विभाजन
स्कीम पर सहमत हैं एवं इसी अनुसूची का
डिक्री करने का निवेदन किया।

अतः वकील उमरपक्ष की सहमति से
वादा वकीलगत प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार
अंतिम डिक्री किया जाता है एवं पक्षकारान को
निम्नानुसार खतेदार घोषित किया जाता है:-

1. हरेली कुत्र बुद्धा, जाति कोली नि. श्यारोली-
राहिन 108 शाखा सेवा मुर्हीन को ख.क्र.
2595 ख.बा 0.32 है, 2719/1 ख.बा 0.32 है,
2750 ख.बा 0.10 है, 2752 ख.बा 0.21 है,
2758 ख.बा 0.34 है, 2760/1 ख.बा 0.14 है
कुल किता 6 कुल ख.बा 1.43 हेक्टर वाले गाम
श्यारोली का खतेदार घोषित किया जाता
है।

P.T.O.

2. अगना पुत्र हुआ जाति कीसी राखि सह भूमि
विवाह के लिए शाखा गंगपुर सिटी के
खाने 2535/1 रकबा 0.08 हे०, 2598 रकबा
0.25 हे०, 2719 रकबा 0.32 हे०, 2752/1
रकबा 0.21 हे०, 2754 रकबा 0.35 हे०,
2760 रकबा 0.23 हे० ग्राम श्यारोली का
खतियान कोषित किया जाला है।

शेष इन्हाज बदस्तूर रहैगै। विमजन
स्कीम निर्गम का जुज पोशन रहेगा।
पत्रावली कैसलशुमा होवा नीवा से कम हो
शे बाद तक्मिल जमा जिला इन्डियेवागा
हो।



सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगपुर सिटी